न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

समस्तीपुर मुफसिल थाना काण्ड सं0 234/19

22.5.19 काराधीन अभियुक्त आशुतोष कुमार सिन्हा उर्फ गुड्डु, संतोष कुमार महतो एवं लालबाबु की ओर से जमानत आवेदन साथ वकालतनामा के दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान वि0 लोक अभि0 को भी दी गयी। दिनांक 23.5.19 वास्ते सुनवाई।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2

सह वि0 न्या0उत्पाद

23.5.19 आवेदक आशुतोष कुमार सिन्हा उर्फ गुड्डु, संतोष कुमार महतो एवं लालबाबु, जो समस्तीपुर मुफसिल थाना काण्ड सं0 234/19 धारा– 37(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 के अन्तर्गत दिनांक 17.5.19 से काराधीन है, की ओर से पूर्व दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। जमानत आवेदन की प्रति पूर्व में विद्वान वि0 लोक अभि0 को दी जा चुकी है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र कुमार झा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नही किया हैं उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसके पास से कोई शराब बरामद नही किया गया है और न ही उसने किसी प्रकार के शराब का सेवन ही किया है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया हैं। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दिनांक 17.5.19 से काराधीन है। अतः उसका जमानत आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाए।

अभियोजन की ओर से विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री रामलखन राय द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्व धारा– 37(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्व घटनास्थल पर शराब पीकर हंगामा करने का आरोप है । सूचक द्वारा ब्रेथ एनालाईजर से जॉच कराने पर अभियुक्त लालबाबु का बी0ए0सी0 80 एम0जी0/100एम0एल0 , अभियुक्त संतोष महतो का बी0ए0सी0 54 एम0जी0/100एम0एल0 एवं अभियुक्त आशुतोष कुमार सिंह का बी0ए0सी0 21 एम0जी0/100एम0एल0 पाया गया। आवेदकगण दि0 17.5.19 से काराधीन हैं।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को मो0 दस हजार रू0 के बंध–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है,

कि एक जमानतदार आवेदक अभियुक्त के माता / पिता अथवा निकटतम संबंधी होगा। लेखापित

अपर सत्र न्या0–2
सह वि0 न्या0उत्पाद